संख्या : 37 /XVII-1/2008-11(03)/2006

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–01. देहरादून, दिनांक 9 दिसम्बर, 2008

विषय : अनुसूचित जाति राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पाइन्स नैनीताल के भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–3374/स.क./निर्माण–46(1)/2008–09, दिनांक 19.11.2008 एवं शासनादेश 274 दिनांक 06 अगस्त, 2007 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पाइन्स नैनीताल के भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में है। कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग प्रखण्ड–नैनीताल द्वारा प्रस्तुत किए गए आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त रूपये 202.40 लाख की धनराशि पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2007–08 में उक्त निर्माण हेतु रूपये 50,00,000/– (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या 274 दिनांक 06 अगस्त, 2007 के द्वारा अवमुक्त की गई। तत्क्रम में उक्त आई0टी0आई0 पाइन्स, नैनीताल के भवन निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में द्वितीय किस्त के रूप में रू0 50,00,000/–(रूपये पचास लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें "शिड्यूल ऑफ रेट" में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाए।
3. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग और "MORTH" द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

4. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।

5. आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उन्हीं मदों पर किया जाए। एक मद की धनराशि दूसरी मदों में कदापि व्यय न की जाए।

6. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में परीक्षण करा लिया जाए तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2407/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाए।

8. उक्त कार्य स्वीकृत धनराशि से पूर्ण किए जाएंगे। विलम्ब के कारण यदि आगणन का पुनरीक्षण किया जाता है तो कार्यदायी संस्था को अपने निजी स्रोतों से वहन करना होगा।

9. स्वीकृत धनराशि का व्यय बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 एवं 6 में उल्लिखित प्राविधानों एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. कार्य कराते समय स्टोर पर्चेज नियमों तथा निविदा विषयक नियमों एवं मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

11. एकमुश्त प्राविधान को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाए।

12. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए तथा कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

13. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

14. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक की "अनुदान संख्या– 30" के "आयोजनागत पक्ष" के लेखाशीर्षक "4225–अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–277–शिक्षा– 03–केन्द–अनुसूचित जातियों हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण–00" के मानक मद "24–वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा।

15. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या– 606 (P)/XXVII(3)/2008, दिनांक 31......दिसम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 37 /XVII-1/2009-11(03)/2006 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य कोषाधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, नैनीताल।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
10. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।